<u>**न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर केम्प भोपाल**</u>

निगरानी या0क0 — /पी.बी.आर/2015 जिला हरदा

नि0/3853-PBR-15

पेशी दिनांक — 24/11/15

पुनरीक्षणकर्तागण —1 दशरथ पिता रामप्यार आयु लगभग 40 साल जाति कतिया निवासी ग्राम रिजगॉव तहसील हंडिया जिला हरदा म0प्र0

—2 रामकिशन पिता सवाईसिंह उम्र 60 वर्ष जाति कोरकू ग्राम रिजगॉव तहसील हंडिया जिला हरदा म0प्र0

[illegible] 27/11/15 [illegible]

बनाम

उत्तरवादी — श्रीमति मंजूबाई पत्नि संजीव तोमर जाति जाट निवासी एल.आई.जी.कालोनी हरदा तहसील व जिला हरदा म0प्र0

NOTARY ★ GOVT. OF M.P. (INDIA) ★

<u>*पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा—50 म.प्र.भू0रा0सं0 1959*</u>

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसील हंडिया के राजस्व प्रकरण कमांक 06,अ/70 वर्ष 2012—13 ग्राम रिजगॉव तहसील हंडिया की आदेशिका दिनांक 30/09/15 लगायत 14/10/15 की अनियमिता से दुखी, संतप्त एवं पीडित होकर पुनरीक्षण निम्न आधारो पर अपनी पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता है।

ग २१२५ ४ श्रीमती गंगाबाई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3853–पीबीआर/2015 **जिला हरदा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–12–2015	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 14–10–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 की सहपठित धारा 151 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में पटवारी की साक्ष्य ली जाना आवश्यक है, अतः पटवारी को साक्ष्य हेतु बुलाया जाये । उक्त आवेदन पत्र को तहसीलदार द्वारा सकारण आदेश पारित नहीं कर निरस्त किया गया है । इस प्रकरण में न्यायहित में यह आवश्यक है कि तहसीलदार पटवारी अमन चौहान को प्रति परीक्षण हेतु उपस्थित होने के लिये निर्देशित कर पाबंद करें कि वह उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करें क्योंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा यह आधार उठाया जा रहा है कि पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण की भूमि को नक्शे में कम बताकर सीमांकन किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का आदेश दिनांक 14–10–2015 प्रथमदृष्टया विधिसंगत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है । प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	